Case Refference No

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 159/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/136

वादीगण

1.मांगीलाल पुत्र प्रभूसिंह
2.बिहारीसिंह पुत्र प्रभूसिंह
जाति राजपुरोहित
निवासी तिरसिंगड़ी सोढा
व जिला बालोतरा

बनाम **प्रतिवादी**

1.कानसिंह पुत्र प्रभूसिंह
2.किरणकंवर पत्नि भवानीसिंह
3.जोरसिंह पुत्र हड़मतसिंह
4.पुखसिंह पुत्र चुन्नीलाल
5.मदनसिंह पुत्र चुन्नीलाल
6.शैतानसिंह पुत्र हेमसिंह
7.सुगणों पत्नि हेमसिंह
8.ईश्वरसिंह पुत्र जगमालसिंह
9.कानसिंह पुत्र जगमालसिंह
10.मीरो पत्नि हीरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तिरसिंगड़ी सोढा तहसील पचपदरा
11.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री सुरेश नारायण खारवाल,अधिवक्ता वादीगण
2. श्री सम्पतसिंह खारवाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 10
3. प्रतिवादी संख्या 11 अनुपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 05

:–निर्णयः–

दिनांक … 2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:11:59 IST
Reason: SelfAttested

1.संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम मोहनपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 166/30 क्षेत्रफल 82.0782 हैक्टयर व खसरा संख्या 22 क्षेत्रफल 7.66 हैक्टयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी की सहखातेदार में अवस्थित है। वादीगण के पिता प्रभूसिंह का देहान्त होने पर वक्त फोतदगी नामान्तकरण भरते समय धरेलू बोलचाल भाषा में वादीगण के अशुद्ध नाम मांगसिंह व भेरसिंह इन्द्राज कर दिए गए,जो अशुद्ध नाम इन्द्राज होने के कारण वादीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। जबकि वादी संख्या 01 का मांगीलाल व वादी संख्या 02 का बिहारीसिंह

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वास्तविक नाम है। अतः वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में दायर अशुद्व प्रविष्टि मांगसिंह व भैरसिंह के स्थान पर सही नाम मांगीलाल व बिहारी इन्द्राज करवानें हेतु वाद–पत्र पेश किया गया है।

2.वादीगण का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया। प्रतिवादी के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 से व 6 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतसिंह खारवाल द्वारा वकालतनामा पेश कर इकबाली जवाब पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 05 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया।

3.प्रतिवादी के इकबाली जवाब पेश होने के कारण विवाद के बिन्दु निहित नहीं हो के कारण तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं रही। वादीगण के वाद–पत्र के अनुतोष को ही तनकीयात समझा जा रहा है। वादी साक्ष्य में स्वंय वादी बिहारीसिंह द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया। दस्तोवजी साक्ष्य में प्रदर्श 1–विवादित भूमि खसरा संख्या 166/30 की जमाबंदी, प्रदर्श 2–इसी ग्राम की नक्शा ट्रेस प्रति,प्रदर्श 3–विवादित भूमि खसरा संख्या 22 की जमाबंदी प्रति,प्रदर्श–4 इसी ग्राम की नक्शा ट्रेस प्रति,प्रदर्श 5–आधारकार्ड मांगीलाल,प्रदर्श 6–वोटरकार्ड मांगीलाल, प्रदर्श–7 आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड,प्रदर्श 8–वोटरकार्ड,प्रदर्श 9–पेनकार्ड प्रति व प्रदर्श 10–पेशन भुगतान आदेश प्रति बिहारीसिंह की प्रदर्शित करवाए गए।

4.उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि वादीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम मोहनपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 166/30 क्षेत्रफल 82.0782 हैक्टयर व खसरा संख्या 22 क्षेत्रफल 7.6647 हैक्टयर अवस्थित है। वादीगण को धरेलू बोलचाल भाषा में मांगसिंह व भेरसिंह नाम से पुकारे थे और वादीगण के पिता के फोत होने पर धरेलू बोलचाल भाषा के नाम मांगसिंह व भेरसिंह राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिए गए,जो कि उक्त अशुद्व नाम की प्रविष्टि कर दी गई। जबकि वादीगण का वास्तविक नाम मांगीलाल व बिहारीसिंह है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में अशुद्व प्रविष्टि मांगसिंह व भेरसिंह इन्द्राज कर दी गई,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादीगण का वास्तविक मांगीलाल व बिहारीसिंह दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादीगण का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादीगण को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का [illegible] प्राप्त नहीं हो [illegible] है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का वास्तविक नाम मांगीलाल व बिहारीसिंह के स्थान [illegible]लत इन्द्राज होने के कारण वादीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादीगण [illegible] स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम मांगसिंह व भेरसिंह के स्थान पर मांगीलाल व बिहारीसिंह इन्द्राज किए जाने के आदेश फरमायें जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Ku
Date: 2024.05.21 19:11:59 IS
Reason: SelfAttested

5.वकील प्रतिवादी की बहस है कि वादग्रस्त भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी सहखातेदार है। वादीगण के वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम की प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है। जबकि वादीगण का

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वास्तविक नाम मांगीलाल व बिहारीसिंह है,इनके वादग्रस्त भूमि में शुद्ध नाम दर्ज किए जाते है,तो प्रतिवादी को आपति नहीं है।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मोहनपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 166/30 क्षेत्रफल 82.0782 हैक्टयर व खसरा संख्या 22 क्षेत्रफल 7.6647 हैक्टयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी की सहखातेदारी में अवस्थित है. विवादित भूमि में वादीगण मांगसिंह व भेरसिंह के स्थान पर मांगीलाल व बिहारीसिंह नाम की दुरूस्ती चाह रहे है। वादीगण की ओर से प्रदर्श-5 से 10 दस्तावेज यथा-आधारकार्ड मांगीलाल,पेनकार्ड प्रति,वोटरकार्ड प्रति एवं पेशन भुगतान आदेश प्रति में वादीगण का सही नाम मांगीलाल व बिहारीसिंह अंकन हो रखा है। इससे भी प्रमाणित है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि में अशुद्ध नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो वादीगण वादग्रस्त भूमि में शुद्ध नाम इन्द्राज करवानें के हकदार प्रतीत होतें है। साथ ही वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश कर स्वीकार किया है,कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के अशुद्ध नाम इन्द्राज है,जबकि वादीगण के वास्तविक नाम मांगीलाल व बिहारीसिंह है,वादग्रस्त भूमि में वादीगण के नाम दुरूस्त किए जाते है,तो आपति नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के अशुद्ध नाम प्रविष्टि होने के कारण उन्हें अनावश्यक परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार वादीगण अपना वाद-पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद-पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादीगण वादग्रस्त भूमि में अपनें अशुद्ध नाम मांगसिंह व भेरसिंह के स्थान पर मांगीलाल व बिहारीसिह दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

-:निर्णयः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-पत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम-मोहनपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 166/30 क्षेत्रफल 82.0782 हैक्टयर व खसरा संख्या 22 क्षेत्रफल 7.6647 हैक्टयर भूमि में वादीगण के नाम की अशुद्ध प्रविष्टि मांगसिंह व भेरसिंह पुत्र प्रभूसिंह के स्थान पर मांगीलाल व बिहारीसिंह पुत्र ... दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाकर इन्द्राज करावें। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Ku
Date: 2024.05.21 19:11:59 IS
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 22·3·2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 159/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/436

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1.मांगीलाल पुत्र प्रभूसिंह		1.कानसिंह पुत्र प्रभूसिंह
2.बिहारीसिंह पुत्र प्रभूसिंह		2.किरणकंवर पत्नि भवानीसिंह
जाति राजपुरोहित		3.जोरसिंह पुत्र हड़मतसिंह
निवासी तिरसिंगड़ी सोढा		4.पुखसिंह पुत्र चुन्नीलाल
व जिला बालोतरा		5.मदनसिंह पुत्र चुन्नीलाल
		6.शैतानसिंह पुत्र हेमसिंह
		7.सुगणों पत्नि हेमसिंह
		8.ईश्वरसिंह पुत्र जगमालसिंह
		9.कानसिंह पुत्र जगमालसिंह
		10.मीरो पत्नि हीरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तिरसिंगड़ी सोढा तहसील पचपदरा
		11.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः–88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–22.3.2024

वादीगण की ओर से श्री सुरेश नारायण खारवाल अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01 से 4 व 6 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतसिंह खारवाल की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 05 एकतरफा एवं प्रतिवादी संख्या 11 की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.03.2024 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**–वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–मोहनपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 166/30 क्षेत्रफल 82.0762 हैक्टर [illegible] संख्या 22 क्षेत्रफल 7.6647 हैक्टयर भूमि में वादीगण के नाम की अशुद्ध प्रविष्टि मां[illegible]सिंह पुत्र प्रभूसिंह के स्थान पर मांगीलाल व बिहारीसिंह पुत्र प्रभूसिंह [illegible] जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनु[illegible] रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 22.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:11:59 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	–	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	———
जोड़	–	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:11:59 IST
Reason: SelfAttested